International Journal of Multidisciplinary Allied Research Review and Practices

IJMARRP www.ijmarrp.com (Volume 3, Issue 1, March 2016)

उदारीकरण की नीतियों का राजस्थान के सीमेंट उद्योग के मानव संसाधन प्रबन्ध की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रभाव – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Mr. Saransh Rajoriya,

Research Schlor-SunRise University- Alwar (Raj.)

प्रस्तावना :–

भारतीय आर्थिक उदारीकरण नीति का सामान्य विवेचन :–

[Indian Economic Liberalization Policy 1991 in General)

भारत में 24 जुलाई 1991 को नयी उदार औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों का दौर प्रारम्भ हुआ। उदारीकरण की यह प्रक्रिया निरन्तर जारी हैं।

वैश्वीकरण [Globalization]

वैश्वीकरण से आशय [Meaning of Globalisation]

सामान्य अर्थ में वैश्वीकरण से आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से हैं ताकि व्यावसायिक क्रियाओं का विश्व स्तर पर विस्तार हो सके तथा देशों की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता का विकास हो। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को व्यवसाय के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के रूप में भी देखा जाता हैं।

दत्त एवं सुन्दरम के अनुसार ''वैश्वीकरण बिना किसी बाधा के विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं, शिल्प–विज्ञान, पूंजी तथा श्रम या मानव पूंजी के स्वतन्त्र प्रवाह के एकीकरण की एक प्रक्रिया है।

इस अर्थ में वैश्वीकरण के निम्न चार आयाम [Parameters] है :–

01. व्यापार बाधाओं को दूर करना, जिससे कि विभिन्न राष्ट्रो के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वतन्त्र आदान प्रदान हो सकें।

02. ऐसे वातावरण का सृजन, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पूंजी का स्वतन्त्र प्रवाह हो सकें।

03. ऐसे वातावरण का सृजन, जिसमें टैक्नोलोजी का स्वतन्त्र प्रवाह हो सके।

04. ऐसे वातावरण का सृजन, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम की स्वतन्त्र गतिशीलता हो सकें।''

भारतीय बाजारों में वैश्वीकरण का नवीनतम प्रभाव निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट हैः–

– विनिर्माण विकास दर 6 महीनों में (अप्रैल से सितम्बर 14) में 12 प्रतिशत से अधिक हो गई। औद्योगिक वृद्धि दर पहली बार 10 प्रतिशत की वृद्धि एवं खनन और उत्खनन क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं।

– विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) ईक्विटी में शुद्ध निवेश वर्ष 2014 में 7 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया।

– निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई हैं।

– भारत की अर्थव्यवस्था तिमाही अप्रैल–जून 2014 में विनिर्माण, निर्माण और सेवा एवं कृषि क्षेत्र में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सार्वभौमिकरण एवं सीमेंट उद्योग [Globalisation & Cement Industry]

सीमेंट को निर्माणी उद्योग [Manufacturing Industry] में एक शक्तिशाली निवेश माना जाता है, जो कि राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। सीमेंट उद्योग एक उच्च लागत वाला उद्योग है, जिसमें स्थायी पूंजी जैसे प्लांट व उपकरणों में विनिवेश होता है।

सार्वभौमिकरण (वैश्वीकरण) के नकारात्मक प्रभाव :– [Negative Implication of Globalisation]

सार्वभौमिकरण से जहां एक ओर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते है वहीं दूसरी और इसके अनेक नकारात्मक प्रभाव भी है जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। सार्वभौमिकरण के नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैः–

01. सार्वभौमिकरण/वैश्वीकरण की नीति अपनाने से व्यवसाय में गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा जन्म लेने से इसका औद्योगिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पडता हैं।

02. बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं के जन्म से एक समय के बाद आर्थिक एकाधिकार स्वतः ही उत्पन्न हो जाता हैं।

03. इस नीति के अपनाये जाने से देश में उत्पादित दैनिक जीवन की वस्तुओं को खुला बाजार उपलब्ध होगा। फलतः सब्जियां, फल, अनाज, अण्डे आदि दैनिक जीवन की वस्तुएँ भी सम्पूर्ण विश्व के लिए उपलब्ध रहेगी। इससे हमारे देश में इन वस्तुओं की कीमतें बढ जायेंगी।

04. देश में आयात महंगे पडेंगे।

05. सभी देशों में कुछ उद्योगों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है, किन्तु इस नीति से सभी संरक्षण समाप्त हो जायेंगे जिससे नये तथा अल्पविकसित उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पडेगा।

06. इस नीति से घरेलू संस्थाओं का कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित हो जायेगा। इनका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई विशेष महत्व नहीं रह जायेगा।

07. सार्वभौमिकरण से बडी व्यावसायिक संस्थाओं से छोटी संस्थाओं का अधिग्रहण (Take-over) करने या उनका अपने में संविलयन (Merger) करने की प्रवृत्ति बढ़ती हैं। इससे छोटी संस्थाओं के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता हैं।

वैश्वीकरण एवं भारत [Globalisation and India] :-

1990 के दशक में वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण एक विश्वव्यापी आन्दोलन के रूप में विकसित हुआ है, जिसके फलस्वरूप पूंजीवादी या समाजवादी आर्थिक प्रणाली के विपरीत विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में वैश्विक आर्थिक प्रणाली [Global Economic System] का मार्ग प्रशस्त हुआ हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था चार दशक तक (1950–90) समाजवाद, सार्वजनिक उपक्रम, नौकरशाही तथा लाइसेंस–कोटा–परमिट–राज पर चलने के बाद 1991 से आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण अपनाने हेतु विवश हुई हैं जिसके मूल लक्ष्य निम्नलिखित थे।

1. आर्थिक विकास प्रक्रिया में आयी रूकावटों को दूर करना।

2. अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश हेतु भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।

3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।

4. बीमार सार्वजनिक क्षेत्र में गतिशीलता तथा कुशलता लाना।

उदारीकरण [Liberalisation]

उदारीकरण से आशय [Meaning of Liberalisation] :-

''उदारीकरण से अभिप्राय एक देश का अन्य देशों में विघ्नरहित व्यापार करना है, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वतन्त्र रूप से आदान–प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत करयुक्त (जैसे – शुल्क, अधिभार और निर्यात अनुदान) और करमुक्त (जैसे – अनुज्ञा–नियमन, नियतांश, स्वेच्छा मानक) आदि अवरोधों को हटाना शामिल है।''

भारतीय अर्थव्यवस्था का विद्यमान विकास परिदृश्य [Present Development of Scenario of Indian Economy]

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए विश्वास से भरी हुई हैं, जो कि नीचे दिये आँकड़ों से स्वतः स्पष्ट है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के तात्कालिक अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि दर वर्ष 2013–14 में 9.6 प्रतिशत के अप्रत्याशित उच्च स्तर पर रही थी। इससे पूर्व वर्ष 2012–13 में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि दर 9.4 प्रतिशत ही थी। 2013–14 के पश्चात भी विकास की दर 9 प्रतिशत के आसपास बनी हुई हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र उदारीकरण के परिणामस्वरूप सर्वाधिक तेजी के साथ उभरकर सामने आया है।

उदारीकरण का प्रभाव [Impact of Liberalisation] :-

''देश में योजनाबद्ध विकास एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों को सहायता प्रदान करके सरकार ने क्षेत्रीय असन्तुलनों (विषमताओं) को कम करने का प्रयास किया हैं। लेकिन उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का एक अन्य पहलू यह भी है कि इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय विषमताओं में भविष्य में वृद्धि होगी, क्योंकि अब पिछड़े हुए राज्यों की तुलना में विकसित राज्यों में ही अधिक निवेश होने लगा है। इससे वृद्धि दरों में विषमताएँ बढ़ेगी।

उदारीकरण एँव सीमेन्ट उद्योग :– [Liberalisation & Cement Industry]

उदारीकरण का स्पष्ट प्रभाव सीमेंट उद्योग पर भी दृष्टिगत होता हैं। बदलती हुई परिस्थतियों में सरकार ने सीमेंट का मूल्य निर्धारण भी उत्पादक कम्पनियों के अनुसार ही करने का निर्णय किया।

सीमेन्ट निर्यात से प्रतिबन्ध समाप्त :–

मंदी के कारण देश में सीमेंट की घरेलू मांग घटने से चिंतित सीमेंट कम्पनियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने सीमेंट निर्यात से प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा गत 22 दिसम्बर 2008 को की। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

ज्ञातव्य है कि बढ़ते हुए मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अप्रैल 2008 में सीमेंट निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए दिसम्बर 2008 में लाए गए प्रोत्साहन पैकेज में उत्पाद शुल्क में की गई कटौती से सीमेंट के मूल्य कम हुए है, किन्तु इसके बावजूद ग्लोबल मंदी के चलते निर्माण गतिविधियो पर विपरीत प्रभाव पडा है, फलस्वरूप सीमेंट की मांग घट गई। सीमेंट कम्पनियों को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए सरकार ने इसके निर्यात से प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा की।

निजीकरण [Privatization]

परिचय ;(Introduction) :–

प्रो. के.एस. रामचन्द्रन के अनुसार ''उदारीकरण की प्रक्रिया में निजीकरण एक अनिवार्य कदम हैं।'' 'निजीकरण' उदारीकरण का एक पूरक पहलू हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता में कमी तथा भारी घाटे को ध्यान में रखकर सरकार ने ऐसे उपक्रमों का निजीकरण करने की नीति अपनाई हैं, जिसके अन्तर्गत उनका विनिवेश (disinvestment) किया जा रहा है, अर्थात् उनकी पूंजी या स्वामित्व निजी व्यक्तियों को बेचा जा रहा है। सरकार की नीति सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों को सीमित कर उस क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों को बढ़ावा देने की हैं। साथ ही सरकारी निजी निगमों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आकर्षक सुविधाएँ देकर उनको बढ़ाने का कार्य कर रहीं है। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की कमियों को दूर करने का निजीकरण ही एक ठोस कदम हैं।

इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण का सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था विशेषकर उद्योगों, आयात निर्यात नीति, विनिमय एवं कृषि क्षेत्र पर हुए प्रभावों का विवचेन करने का प्रयास किया गया हैं।

निजीकरण : अर्थ एवं परिभाषा : [Privatisation: Meaning & Definition]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री सुसान के. जोन्स के अनुसार, ''निजीकरण शब्द से तात्पर्य किसी भी कार्यकलाप को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित करना है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकलापों में केवल पूंजी अथवा प्रबन्ध विशेषज्ञों का प्रवेश भी हो सकता है, किन्तु अधिकांश मामलों में इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजी क्षेत्र में हस्तान्तरण होता है।''

शोध प्रणाली विज्ञान [Research Methodology]

(i) वर्तमान शोध (अध्ययन) की आवश्यकता एवं महत्व

(Need and Importance of Present Study)

आर्थिक उदारीकरण नीति 1991 ने भारत के अन्य राज्यों की भाँति राजस्थान के प्रमुख आधारभूत उद्योगों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी हैं।

राजस्थान के प्रमुख आधारभूत उद्योगों में से एक सीमेंट उद्योग पर आर्थिक उदारीकरण नीति का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। यह उद्योग उदारीकरण के पश्चात व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर

रहा हैं, इनकी मानव संसाधन की नीतियों में अनेक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इन्हीं सभी तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करने के उद्देश्य से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की आवश्यकता को अनुभव किया गया है।

(ii) शोध (अध्ययन) के उद्देश्य (Objectives of the study):–

आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीति ने सम्पूर्ण विश्व के आधारभूत उद्योगों एवं विशेषकर उनकी मानव संसाधन नीतियों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा हैं। आधारभूत उद्योगों में से एक सीमेंट उद्योग भी आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के प्रभावों से अछूता नहीं रहा हैं। इस शोध (अध्ययन) का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उद्योग पर आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण नीति का सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभावों का अध्ययन करना हैं।

शोध (अध्ययन) के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1. आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के उपरान्त राजस्थान के सीमेंट उद्योग का राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन करना।

2. आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण नीति का सीमेंट उद्योग की भर्ती वचयन नीतियों पर हुए प्रभाव का पता लगाना।

3. सीमेंट उद्योग में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन–भत्तों व अन्य सुविधाओं की सन्तुष्टि स्तर का आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के पश्चात अध्ययन करना।

4. सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण व अभिप्रेरणा कार्यक्रम पर आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण नीति के प्रभावों का अध्ययन करना।

(iii) समंको का संग्रहण (Collection of Data) :–

किसी भी शोध की विश्वसनीयता उसमें प्रयुक्त की जाने वाली सूचनाओं एवं आंकड़ों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने आंकड़े एवं सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास किया हैं। प्रस्तुत शोध (अध्ययन) के अन्तर्गत पर्याप्त अध्ययन सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से प्राथमिक (Primary) एवं द्वितीयक (Secondary) दोनों माध्यमों से आँकड़े एकत्रित किये गये हैं।

प्राथमिक समंक प्रबन्धकों/अधिकारियों व श्रमिकों के मध्य अलग–अलग प्रश्नावली द्वारा एकत्रित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक समंक सीमेंट उद्योग के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख व अन्य विभागाध्यक्षों से परस्पर वार्तालाप व साक्षात्कार एवं अवलोकन द्वारा भी इकट्ठे किये गये हैं। संक्षेप में सूचनाएं एकत्र करने हेतु निम्न विभिन्न साधनों का प्रयोग किया गया हैं।

(अ) प्राथमिक आँकड़े (Primary Data) :–प्राथमिक आँकड़े एकत्रित करने के लिए निम्न तरीके उपयोग में लाए गए :–

(I) प्रश्नावली (Questionnaire) :– अध्ययन हेतु प्राथमिक समंक एकत्र करने हेतु प्रबन्धक वर्ग एवं श्रमिक वर्ग दोनों के लिए पृथक–पृथक प्रश्नावली का निर्माण किया गया है। प्रश्नावली के माध्यम से दोनों वर्गों से आर्थिक उदारीकरण का मानव संसाधन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं यथा भर्ती, चयन, प्रशिक्षण विकास, वेतन, मजदूरी, अभिप्रेरण, सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा आदि के संदर्भ में व्यापक अध्ययन का प्रयास किया गया है।

(II) साक्षात्कार (interview) :– हमारे अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सीमेंट इकाइयों में अलग–अलग विभागों में कार्यरत प्रबन्धकों, श्रमिकों व श्रम संघ नेताओं से समय–समय पर व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा उनके आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के सम्बन्ध में विचार जानने का प्रयास किया गया। इस प्रकार जो सामग्री प्रश्नावली के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो पायी उसे इस आधार पर एकत्रित करने का प्रयास किया गया है।

(III) व्यक्तिगत निरीक्षण (Personal observations) :– अध्ययन कार्य हेतु शोधार्थी को विभिन्न इकाइयों में जाने के अनेक अवसर प्राप्त हुए तथा इकाइयों की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से देखने व अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनेक उपयोगी जानकारी व्यक्तिगत निरीक्षण एवं अनौपचारिक वार्तालाप के आधार भी प्राप्त की गयी हैं।

द्वितीयक आँकड़े (Secondary Data) :– द्वितीय आँकड़े एकत्रित करने के लिए निम्न साधन उपयोग में लाये गये :–

(I) औद्योगिक प्रकाशन (Industry Publications) :– निम्नलिखित औद्योगिक प्रकाशनों द्वारा सूचनाएं एकत्रित की गई :–

(i) विभिन्न सीमेंट इकाइयों के वार्षिक प्रतिवेदन व खाते (Annual Reports and Accounts of Individual Cements Plants)

(ii) सीमेंट उद्योग के जर्नल व अन्य प्रकाशन ;Journals and other publications of the cement industry)

(iii) सीमेंट निर्माता संघ के प्रकाशन (Publications of Cement manufacturers assocaition)

(iv) भारतीय सीमेंट शोध संस्थान के प्रकाशन ;Publications of cement research institute of India)

(II) अन्य प्रकाशन (Other Publications) :–

(i) विभिन्न वित्तिय संस्थाओं की प्रकाशित सामग्री (Published material of the various financial institutions)

(ii) भारत व राजस्थान के सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रकाशित सामग्री ;Published mateiral of the statistical department in India & Rajasthan)

शोध परिकल्पना (Research Hypothesis) :–

राजस्थान में बढ़ते तीव्र औद्योगिकीकरण में सीमेंट उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। भारतीय आर्थिक उदारीकरण नीति 1991 ने अन्य आधारभूत उद्योगों की भाँति सीमेन्ट उद्योग को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया हैं।

उदारीकरण के वर्तमान युग में राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक जगत में गलाकाट प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया हैं। यह कड़ी प्रतियोगिता वर्तमान में विभिन्न उद्योगों में ही नहीं वरन् एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों में भी दृष्टिगत होती हैं। अतः यह निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में केवल वही उपक्रम सफलतापूर्वक अपना अस्तित्व कायम रखने में सफल हो पायेंगे जो अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकेंगे। ऐसी अवस्था में एक संस्था के लिए उसमें प्रयुक्त

मानव संसाधन का उचित प्रबन्ध एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता हैं क्योंकि विभिन्न संसाधनों में मानव संसाधन को ही शीर्ष स्थान एवं महत्व प्राप्त होता हैं।

मानव संसाधन प्रबन्ध के समक्ष आज प्रमुख चुनौती कुशल कार्मिकों को संस्था से जोडने तक ही सीमित नहीं है अपितु उन्हें लम्बे समय तक संस्था में रोके रखना अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि इन कार्मिकों के लिये प्रभावी अभिप्रेरण के अतिरिक्त आकर्षक कैरियर नियोजन का कार्य भी सावधानीपूर्वक किया जायें।

आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण ने कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य के द्वार खोल दिये हैं। अब कुटीर, लघु व वृहद उद्योग चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में कुशल मानव संसाधनों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को उचित कार्य वातावरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अच्छा वेतन एवं आर्थिक पैकेज, सामाजिक सन्तुष्टि व सुरक्षा आदि अनिवार्य आवश्यक तत्व बन गये हैं।

इसी प्रवृति के कारण निजी व सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र के उपक्रम आदर्श सेवानियोजक के रूप में कर्मचारी अनुषंगी लाभों की ओर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैः–

1. संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अन्य उद्योगों या स्थानीय बाजार में उपलब्ध सेवाओं या लाभ के समान लाभान्वित करना।

2. वैश्वीकरण व आर्थिक उदारीकरण के कारण योग्य व कुशल कर्मचारियों का अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों में पलायन को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे वेतन व अनुषंगी लाभ उपलब्ध करना।

प्रसिद्ध लेखक डॉ. पी.सी. जैन ने अपने लेख आर्थिक उदारीकरण, भावी दिशा एवं व्यूहरचना में उल्लिखित किया कि 1990 के दशक में वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण एक विश्वव्यापी आन्दोलन के रूप में विकसित हुआ है, जिसके फलस्वरूप पूंजीवादी या समाजवादी आर्थिक प्रणाली के विपरीत विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में वैश्विक आर्थिक प्रणाली (Global Economic System) का मार्ग प्रशस्त हुआ हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रथम चार दशक तक (1950–90) समाजवाद, सार्वजनिक उपक्रम, नौकरशाही तथा लाइसेंस–कोटा–परमिट–राज आदि तन्त्रों से प्रभावित रही है, लेकिन बदलते राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं निजी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ एवं संगठित रूप में विकसित हो जाने के फलस्वरूप 1991 में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ हैं जिसके मूल लक्ष्य निम्नलिखित थे :–

1. आर्थिक विकास प्रक्रिया में आयी रूकावटों को दूर करना।

2. अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश हेतु भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।

3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।

4. बीमार सार्वजनिक क्षेत्र में गतिशीलता तथा कुशलता लाना।

5. लालफीताशाही, अक्षमता तथा संसाधनों के अपव्यय को रोकना।

6. अनुसंधान एवं नवाचार पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ध्यान देना।

7. विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर सामन्जस्य करते हुए मूलभूत समस्याओं (गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक विषमता आदि) का यथासंभव निराकरण करना।

विभिन्न अर्थशास्त्रियों के वैश्वीकरण व उदारीकरण के विपक्ष में निम्न तर्कों का विभिन्न आँकड़ों द्वारा विश्लेषण किया गया है :–

1. सार्वभौमिकरण/वैश्वीकरण की नीति अपनाने से व्यवसाय में अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही हैं।

2. यह नीति पूंजीवादी तत्वों तथा उपभोक्तावाद की पोषक हैं।

3. भारत में यंत्रीकरण के बढ़ते चलन से बेरोजगारी का भय उत्पन्न हो गया है।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक कृषि क्षेत्र पर आर्थिक उदारीकरण नीति में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया हैं।

5. पेटेन्ट अधिकारों का दुरूपयोग होने की संभावना बढ गई हैं।

6. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से देश की सम्प्रभुता को खतरा बढ़ रहा है।

7. विदेशी निवेशों में भारी घट–बढ़ से शेयर बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती जा रही हैं।

भारत के सुप्रसिद्ध राजकोषीय विशेषज्ञ (fiscal expert) स्वर्गीय डॉ. राजा जे. चेल्लैया का मत था कि ''देश में ऊँची विकास दर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के आर्थिक

सुधार कार्यक्रम अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाएँ। ऐसा करके वे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद दे सकती हैं।''

राजस्थान में लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम आदि अनेक खनिज आधारित वृहद, लघु व कुटीर उद्योग विकसित हो रहे हैं, जिनमें सीमेंट उद्योग प्रमुख हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष में कुल सीमेंट का सर्वाधिक 16.18 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में होता हैं, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है :–

1. संसाधनों का उचित विदोहन

2. कच्चे माल यथा चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका, सीमेंट ग्रेड–लाइमस्टोन, चीनी मिट्टी आदि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता।

वेटर एरिक डब्ल्यू (Vetter Eric W.) की पुस्तक Manpower planning for high talent personnel में मानव शक्ति नियोजन के चार विभिन्न चरणों के सम्बन्ध में राजस्थान की विभिन्न सीमेंट इकाईयों में मानव संसाधन विभाग से प्राप्त आँकड़ों से निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि सीमेंट उद्योगों में भी मानव शक्ति नियोजन के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत सर्वप्रथम वर्तमान मानव शक्ति नियोजन की स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात् भावी मानव शक्ति का पुर्वानुमान किया जाता हैं और फिर योजनाओं को क्रियान्वित कर उनका मूल्यांकन किया जाता हैं।

योग्यता आकर्षण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का समुचित मूल्यांकन करने के उद्देश्य से राजस्थान की विभिन्न सीमेंट इकाइयों के विभिन्न विभागों में कार्यरत प्रबन्धकों व श्रमिकों के लिए अलग–अलग प्रश्नावली तैयार की गई।

योग्य कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सीमेंट इकाइयों के प्रबन्धकों व अधिकारियों से प्रश्नावली व व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा कर्मचारी भर्ती एवं चयन के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया का क्रम निम्न प्रकार है :–

01. मानव संसाधन की आवश्यकताओं का निर्धारण।

02. कर्मचारियों की भर्ती

03. चयन

04. कार्य पर नियुक्ति

05. अनुस्थापन / आगमन

06. पदोन्नति, एवं

07. स्थानान्तरण

प्रो. एम.एन. रूद्राबासवराज (Prof. M. N. Rudrabasavraj) के अध्ययन द्वारा निजी व सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपनाए गए भर्ती के साधनों का क्रम विभिन्न सीमेंट इकाइयों में कार्यरत प्रबन्धकों व श्रमिकों से प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आँकड़ों में उल्लिखित साधनों में एकसमानता दृष्टिगत हुई। आँकड़ों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार सभी सीमेंट इकाइयों में प्राय भर्ती के आन्तरिक व बाह्य दोनों साधनों का प्रयोग किया जाता हैं। वर्तमान आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के युग में योग्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए व्यूहरचनात्मक तरीकें का उल्लेख प्रसिद्ध विचारक एवं लेखक Robert L. mathis and John H. Jackson ने अपनी पुस्तक Human Resource Management में किया है। व्यूहरचनात्मक भर्ती आन्तरिक व बाह्य सांधनों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित करती है जो कि संगठन को वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में लाभ (Advantage) प्रदान करती हैं। इस संबंध में विभिन्न सीमेंट इकाइयों के मानव संसाधन विभाग के प्रमुखों की राय भी सकारात्मक थी।

संगठन के साथ कर्मचारी से जुड़ाव के लाभों के सम्बन्ध में लेखक ''प्रियंका रावल'' ने अपने लेख ''Employee Engagement'' में उल्लिखित 10C's की सार्थकता भी शोध के दौरान स्पष्ट दृष्टिगत हुई। लेखक के अनुसार 10C's निम्न प्रकार है :–

1. Connect (जुडाव)
2. Career (वृत्ति–विकास)
3. Charity (पारदर्शिता)
4. Convey (प्रेषण)
5. Congratulate (बधाई)
6. Contribute (योगदान)
7. Control (नियंत्रण)
8. Collaborate (सहभागिता)
9. Credibility (विश्वसनीयता)
10. Confidence (विश्वास)

निष्कर्षस्वरूप यह कहा जा सकता है कि वर्तमान आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण युग में कर्मचारी न केवल वेतन (आर्थिक पैकेज) पर ही ध्यान केन्द्रित करता है, अपितु अन्य बातें जैसे – प्रबन्ध में सहभागिता, अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य व संगठन से अपने जुड़ाव को भी महत्व देता हैं। संगठन से जुडाव के कारण एक कर्मचारी में अपनत्व की भावना का विकास होता है फलस्वरूप वह अपने कर्तव्य व संगठन में अपनी भूमिका के प्रति सजग रहता हैं। संगठन से जुड़ाव, कर्मचारी को संगठन की एक बहूमुल्य सम्पत्ति बनाती हैं एवं उसे कार्य के प्रति अभिप्रेरित करने व कार्य पर बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करते हैं।

21वीं सदी में कर्मचारी के लिए वेतन (मजदूरी) की महत्ता बताते हुए लेखक प्रो. एन.पी. अग्रवाल, आर.के. टेलर, ने लिखा है कि ''क्षतिपूरण मानव संसाधन प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार का पुरस्कार जो एक कर्मचारी संगठन में कार्य करने के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त करता है, शामिल हैं। 21वीं सदी में यह निष्पादन की प्रमुख लागत है, दूसरी ओर यह एक कर्मचारी के रोजगार का प्रमुख आधार हैं। इस प्रकार क्षतिपूरण नियोक्ता एवं कर्मचारी के मध्य विनिमयकारी सम्बन्ध स्थापित करता हैं।'' इस सम्बन्ध में एडविन बी. फिलिप्पों तथा डेल एस.बीच के वेतन (आर्थिक पैकेज) निर्धारण के प्रमुख घटकों को विभिन्न सीमेंट इकाइयों में कार्यरत प्रबन्धकों/अधिकारियों ने निम्न प्रकार वरीयता क्रम प्रदान किया –

1. प्रचलित मजदूरी दर।
2. श्रम की मांग व पूर्ति।
3. उत्पादकता।
4. कृत्य आवश्यकतायें।
5. निर्वाह लागत।
6. भुगतान की क्षमता।
7. केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम एवं
8. श्रम संघ।

सीमेन्ट इकाइयों के प्रबन्धकों/अधिकारियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी दरें कर्मचारियों के वेतन (आर्थिक पैकेज) को निर्धारित करने में प्रमुख घटक है। प्रबन्धकों/अधिकारियों का मानना है कि आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण नीतियों के पश्चात् योग्य व कुशल कर्मचारियों के वेतन (आर्थिक पैकेज) में वृद्धि होने से कर्मचारियों के मनोबल व कार्य के प्रति लगन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं।

वर्तमान आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के युग में वेतन व मजदूरी के अतिरिक्त मिलने वाले अनुषंगी लाभों (महंगाई भत्ता, पारी भत्ता, वाहन भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, यात्रा भत्ता, रियायती दर पर खाद्य एवं कैन्टीन सुविधाएँ, कर्मचारियों की शैक्षणिक योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता व अन्य क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ) का प्रभाव, अध्ययन के दौरान राजस्थान सीमेंट उद्योग पर भी स्पष्टतः दृष्टिगत हुआ। इस सम्बन्ध में एडविन बी. फिलिप्पों' का यह कथन बिल्कुल सही चरितार्थ होता है ''कर्मचारियों के अनुषंगी लाभों की तुलना एक ऐसे पौराणिक जानवर से की जा सकती है, जिसका एक सिर काटने पर दो सिर निकल आते हैं, अर्थात इन कर्मचारी लाभदायक कार्यक्रमों की संख्या का कोई अनुकूलतम अन्त नहीं है।''

भारत में सार्वजनिक एवं निजि उद्यमों में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए विभिन्न अधिनियमों का उल्लेख लेखक जे.पी. मिश्रा, जे.के. पुरोहित आदि ने अपनी पुस्तक वाणिज्य के अन्तर्गत किया हैं। शोध के दौरान प्रबन्धकों व श्रमिकों से अलग–अलग प्रश्नावली के माध्यम से सीमेंट इकाई में प्रभावी एवं क्रियाशील विभिन्न अधिनियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर निम्न प्रतिक्रियायें प्राप्त हुई :–

तालिका : कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रचलित विभिन्नअधिनियमों पर प्रबन्धकों व श्रमिकों की अनुक्रिया (प्रतिशत में)

क्र.स.	अधिनियम	हाँ अधिनियम क्रियाशील है	
		प्रबन्धक	श्रमिक
1.	कर्मचारी प्राविडेन्ट फण्ड अधिनियम, 1952	80	48
2.	कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपलब्ध अधिनियम, 1948	80	42

3.	श्रमिक क्षतिपूर्ति संशोधित अधिनियम, 1964	78	45
4.	प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961	55	39
5.	राज्य बीमा संशोधित अधिनियम, 1984	43	33
6.	कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध व्यवस्थाएं अधिनियम, 1952	78	32
7.	वृद्धावस्था पेंशन योजना, 1995	03	03
8.	अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम, 1984	28	10
9.	सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट, 1982	73	45

उक्त सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों के अतिरिक्त प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा व श्रम कल्याण योजनाओं के तहत आवास, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आराम एवं मनोरंजन, ऋण व अग्रिम, आवागमन, शिशु केन्द्र, आकस्मिक अवकाश आदि विभिन्न सुविधाओं का राजस्थान की विभिन्न सीमेंट इकाइयों के अन्तर्गत प्रबन्धकों व श्रमिकों के संदर्भ में अलग–अलग अध्ययन किया गया। इन योजनाओं के सम्बन्ध में उनके सन्तुष्टि स्तर का प्रश्नावली, निरीक्षण व व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा अध्ययन किया गया हैं। प्राप्त समंको से स्पष्ट हैं कि प्रबन्धकों की तुलना में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा व कल्याण हेतु मिलने वाली सुविधाएं इतनी सन्तोषजनक नहीं हैं।

भावी शोध के लिए सुझाव (Suggestion for further research)

कोई भी व्यवस्था अथवा प्रणाली अपने आप में पूर्ण एवं दोष रहित नहीं हो सकती है उसमें सुधार एवं परिवर्तन की संभावनाएं निरन्तर बनी रहती है और यही तथ्य भावी पीढी के लिए प्रेरणा का स्त्रोत होता है। यह बात आर्थिक उदारीकरण की नीति के सम्बन्ध में भी अक्षरशः लागू होती है।

आर्थिक उदारीकरण की विभिन्न नीतियों का आर्थिक, सामाजिक एवं प्रबन्धकीय क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। प्रबन्धकीय क्षेत्र के अन्तर्गत विशेषकर मानव संसाधन के सम्बन्ध में नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन आर्थिक उदारीकरण की देन हैं। इस क्षेत्र की अनेक पुरानी मान्यताओं एवं सिद्धान्तों के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगने लगे है एवं बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नयी व्यवस्था, सिद्धान्तों आदि

का मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है। इसके साथ ही नई चुनौतियां भी उत्पन्न होती जा रही है जिनके समाधान हेतु व्यापक विचार मंथन की आवश्यकता हैं।

संदर्भिका

BIBLIOGRAPHY

1. Jagdish Bhagwati, Indefence of Economic Globalisation, Oxford University Press, New Delhi, 2004.

2. डॉ. बी.पी. गुप्ता, व डॉ. एच.आर.स्वामीय भारत में आर्थिक पर्यावरण, रमेश बुक डिपो, जयपुर, 2010

3. दत्त एवं सुन्दरम्य भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2010

4. Charles mitchell; International Business Culture, World trade press, California, 2000.

5. डी.आर. जाट, वी.के. वशिष्ठ, पी.सी. भिण्डा, सरिता जैनय भारत में आर्थिक पर्यावरण, अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर, 2008

6. Prof. Ramesh Chandra; Globalisation, Liberalisation, privatisation and Indian polity industry, Isha Books, Delhi 2004.

7. Deepak Nayyar; Trade and Globalization, Oxford University Press, New Delhi, 2008.

8. राकेश कोठारी, वी.एस. राठौर, पी.सी. जैनय अन्तर्राष्ट्रीय विपणन, रमेश बुक डिपो, जयपुर 2008

9. Arun Monappa; Liberlisation and human resource management; Challanges for the corporation of tomorrow, Sage publications, New Delhi, 2004.